

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जोरा राम बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) सू.अ. अपील संख्या 21/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/04/2024	<p>अपीलार्थी जोरा राम निवासी मांगीलाल, खोजोन का बास, रियां सेठा की रिया, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2023 में कामधेनु गौशाला समिति को ग्राम पंचायत रिया में भूमि आवंटन से संबंधित अपर जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा भेजा गया पत्र क्रमांक प. 12(3)/रा.मानचित्र/14/521 दिनांक 10.02.2015 एवं तहसीलदार को भेजा गया पत्र क्रमांक राजस्व/2015/951 दिनांक 28.05.2015 पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली व अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर) ने जरिये पत्रांक 941 दिनांक 26.03.2024 द्वारा बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को पत्रांक 940 दिनांक 26.03.2024 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	

